<u>केन्द्रीय स्कीम की राशि</u>

संoसंo-3/यो-स०क०-48/2023/......58

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -15.4.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना के संचालनार्थ रू० 4586.66 लाख (पैतालीस करोड छियासी लाख छियासठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि हिंसा से पीडित महिलाओं को तत्काल आकस्मिक एवं गैर आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने, पीडित महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी, तत्कालीन आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श की सहायता उपलब्ध कराने एवं भवन निर्माण हेतु मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना संचालित की गयी है। वितीय वर्ष 2026-27 में वन स्टॉप सेंटर योजना के संचालनार्थ रू० 4586.66 लाख (पैतालीस करोड छियासी लाख छियासठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	PFMS code	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सम्बल) – वन स्टॉप सेंटर विपत्र कोड- (51-2235021030230)	3979	0230.3104	1833.00
			0230.3106	604.12
	मिशन शक्ति (सम्बल) – वन स्टॉप सेंटर विपत्र कोड- (51-4235021030201)		0201.5301	2149.54
कुल (पैतालीस करोड छियासी लाख छियासठ हजार)				**4586.66**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0- 3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ट सं0-29./टि0 पर दिनांक-15.04.2026 को सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो-स०क०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ट सं0-30/टि0 पर दिनांक-15-04-2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं

विश्वासभाजन

15/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ 58 पटना, दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ 58 पटना, दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो-स०क०-48/2023/........ 58 पटना, दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।